

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/  
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,  
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 04 दिसम्बर, 2024

विषय:- राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत मथुरा-वृन्दावन शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना की अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-04/2021/840/नौ-9-2021-50ज/21, दिनांक 30.03.2021 द्वारा मथुरा-वृन्दावन शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना लागत धनराशि ₹0 4910.00 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि ₹0 1227.00 लाख (₹0 बारह करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-06/2022/49/नौ-9-2022-50ज/21, दिनांक 06.01.2022 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि ₹0 1227.00 लाख निर्गत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-91/2022/550/नौ-9-2022-50ज/21, दिनांक 31.03.2022 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि ₹0 780.00 लाख निर्गत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-149/2024/504/नौ-9-2024-ई-1404945-50ज/21, दिनांक 12.03.2024 द्वारा चतुर्थ किश्त की धनराशि ₹0 670.00 लाख निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-3114/106/SSCM/2021-22, दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मथुरा-वृन्दावन शहर की आई0टी0एम0एस0 परियोजना लागत धनराशि ₹0 4910.00 लाख के सापेक्ष अन्तिम किश्त की धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) ₹0 643.85 लाख (रूपये छः करोड़ तैंतालीस लाख पचासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ द्वारा आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, मथुरा-वृन्दावन को अंतरित की जायेगी।


- (2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2025 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (3) शासनादेश संख्या-04/2021/840/नौ-9-2021-50ज/21, दिनांक 30.03.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,43,85,000 (रुपये छः करोड़ तैंतालीस लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
मो० वासिफ, 4.12.24  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-263 /2024/2427/नौ-9-2024-ई-1404945-50ज/21, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, आगरा।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, मथुरा-वृन्दावन।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. कोषाधिकारी, मथुरा-वृन्दावन।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
  
मो० वासिफ, 04.12.24  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।